न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद संख्या–16/19–20

दीक्षा कुमारी पिता–स्व0 मनोरंजन प्रसाद, मो0–बोमपास टाउन देवघर

वनाम

श्रीमती रिंकू देवी पति–श्री मिथलेश कुमार, मो0–गाँधी चौक रोहीनी एवं अन्य

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
	प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद सं0–16/19–20 में दीक्षा कुमारी पिता–स्व0 मनोरंजन प्रसाद, मो0–बोमपास टाउन देवघर के द्वारा अंचल अधिकारी दुमका के नामान्तरण वाद सं0–208 R 27/18–19 में पारित आदेश दिनांक–10.07.2019 के विरुद्ध नामान्तरण अपील वाद दायर किया गया है। जिसमें आवेदक के नामान्तरण आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। अंचल अधिकारी दुमका के पत्रांक–364, दिनांक–23.05.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयगत वाद नामान्तरण अपील वाद सं0–208 R 27/18–19 को अस्वीकृत किये जाने से संबंधित है। उक्त नामान्तरण वाद मौजा–दुमका टाउन के खाता सं0–22/28/1 के दाग सं0–195 का अंश रकवा 9.17 डि0 भूमि का दाखिल खारिज हेतु किया गया था। स्थानीय एवं राजस्व कागजात के अवलोकन करने पर आवेदित भूमि का किस्म पोखर पाया गया तथा आवेदक द्वारा पोखर का स्वरूप परिवर्तन करने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त आधार पर विषयगत नामान्तरण वाद को अस्वीकृत किया गया है। प्रस्तुत वाद में विपक्ष न्यायालय में लगातार अनुपस्थित है। जिससे स्पष्ट है कि वाद की कार्रवाई में विपक्ष को कोई अभिरुची नहीं है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है प्रश्नगत भूमि का किस्म पोखर होने के कारण एवं आवेदक द्वारा पोखर का स्वरूप परिवर्तन करने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण विषयगत नामान्तरण वाद को अस्वीकृत किया गया है। अतएव प्रस्तुत वाद की कार्रवाई में नामान्तरण अपील वाद सं0–16/19–20 को खारिज किया जाता है। इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 28.07.2021 भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका। 28.07.2021 भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	

Digitally signed by BINAY MANISH R LAKRA
Date: 2021.08.02 14:58:09 +05:30
Location: 192.168.1.116

Scanned with CamScanner